सिमलीपाल (उड़ीसा), (4) पालामऊ (बिहार), (5) कौरवेट (उत्तर प्रदेश), (6) कान्हा (मध्य प्रदेश), (7) रणथम्बोर (राजस्थान), (8) मेलघाट (महाराष्ट्र), और (9) बांदीपुर (कर्नाटक) मे क्रियान्वित की जायेगी। इस वित्तीय सहायता को देशी और विदेशी दोनों क्षेत्रों से उन्नत यंत्रो की खरीद, परियोजना क्षेत्रों में तकनीकी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को वित्तीय सहायता देने और अनुसंधान में प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

'प्राजेक्ट टाइगर' का ब्यौरा 'प्राजेक्ट टाइगर इंडिया 1972' रिपोर्ट में दिया गया है जिसकी प्रतिया संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE PROF. SHER SINGH): (a) The World Wild Life Fund has indicated that about one million dollars would be raised from public contribution for aiding the Project "Operation Tiger" in India, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Indonesia.

(b) Their plan concerning this country is the "Project Tiger". This Project will be implemented during the period from 1973-74 to 1978-79 in nine Tiger reserves viz. (1) Manas (Assam), (2) Sundarbans (West Bengal), (3) Simlipal (Orissa), (4) Palamau (Bihar), (4) Corbett (U.P.), (6) Kanha (Madhya Pradesh), (7) Ranthambore (Rajasthan), (8) Melghat (Maharashtra) and (9) Bandipur (Karnataka). The financial aid is proposed to be utilised in procurement of improved equipments, both from indigenous and external sources, financing training programme for the technical staff in the Project areas and in research.

Details about the Project Tiger are given in the report on "Project Tiger India 1972", copies of which have been placed in the Parliament Library.]

वन्य प्राणी संरक्षण

1562. **श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटिल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वन्य प्राणी संरक्षण से सम्बंधित कानूनों के उपबन्धों को कठोरता से लागू नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनेक दुलर्भ पक्षी और पशु समाप्त होते जा रहे हैं और निकट भविष्य में उनके पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने की संभावनाए है; और

(ख) इस प्रकार के पक्षियों और पशुओ के संरक्षण के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

†[Wild life protection

1562. SHRI P. S. PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the provisions of laws regarding wild life protection are not being implemented strictly as a result of which many rare birds and animals are facing extinction and there are possibilities of their total extinction in the near future; and

(b) what effective steps are being taken for the protection of such birds and animals?]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पारित किए जाने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे अब तक इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) दुर्लभ पक्षियों और पशुओं को संरक्षण देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

(1) अधिक वन्य प्राणि आश्रय-स्थल और राष्ट्रीय पार्क बनाए जा रहे हैं।

†[ ] English translation.

(2) वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जिसे अबतक 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसमें एक पृथक सूची में दुर्लभ-पक्षी तथा पशु शामिल हैं, जिनके संबंध में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर विशेष रूप से कड़ी सजा दी जाती है।

(3) विभिन्न सूचियों में शामिल किए गए पशुओं तथा पक्षियों को व्यापार निर्यात नियंत्रण आदेश में शामिल कर लिया गया है।

(4) वन्य-प्राणियों और उनके उत्पादों की तस्करी आदि को रोकने की दृष्टि से सिर्फ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली के चार प्रमुख बन्दरगाहों से इनके निर्यात की अनुमति दी जा रही है।

(5) भारत सरकार का कुछ चुने हुए राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय-स्थलों के बेहतर प्रबन्ध और विकास के लिए तथा उनमें दुर्लभ पक्षियों और पशुओं के प्रजनन कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकारों को कुछ वित्तीय-सहायता देने का विचार है।

(6) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन्य प्राणी स्कीमों की स्थापना।

(7) वन्य प्राणियों में सामान्य जनता की दिलचस्पी पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार के जरिये उन्हें शिक्षित करना।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) No such reports have so far been received from the States/Union Territories after the adoption of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

(b) The following steps have been taken to give protection to the rare birds and animals.

(i) More Wildlife Sanctuaries and National Parks are being created.

(ii) Wild Life (Protection) Act 1972 which has now been extended to 20 States/Union Territories so far and includes the rarer birds and animals in a separate schedule the violation in respect of which attracts specially stringent punishment.

(iii) Animals and birds listed in different schedules have been included in the Export Trade Control Order

(iv) To check smuggling etc. export of the wild life and its products are being allowed only through four major ports of Calcutta, Bombay, Madras and Delhi.

(v) Government of India have proposed to give some financial assistance to the State Governments for better management and development of some selected National Parks and Sanctuaries and for captive breeding programmes of rarer birds and animals.

(vi) Setting up of Wild Life Wings in some of the States/Union Territories

(vii) Educating the general public through wide publicity in order to inculcate interest in wild life]

†[ ] English translation.

बीजों का बिक्री मूल्य

1563. **श्री राम सहाय**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसानों से अनाज किन किन दरों पर खरीदा गया और इन अनाजों को बीज के रूप में किसानों को किन किन दरों पर बेचा गया ; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार यह अनाज 80 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर अब इन्हें किसानों को बीज के रूप में 140 अथवा 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रही है?